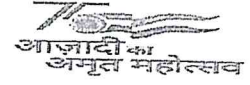


भारत सरकार Government of India
रेल मंत्रालय Ministry of Railways
रेलवे बोर्ड (Railway Board)



RBA.No. 24 /2022.

No.2022/ACII/2/1

New Delhi dated 24. 3.2022.

1. General Managers/ PFA etc (As per Standard list I).
2. All Attached Offices/ Subordinate Offices (As per standard list II)

Sub: Revised Codal life of Assets.

Kindly refer to para 219 of Indian Railway Finance Code, Vol-1, detailing the normal life of various assets. In this regard Civil Engineering Directorate, Computer and Information System Dte and Signalling & Telecommunication Dtes. have proposed revision of codal life of certain assets, the same have been examined by the multidisciplinary Executive Director's Committee set up in Railway Board for this purpose and their recommendations have been accepted by Board. Accordingly, Advance Correction Slip No. 91 amending Para 219, Indian Railway Finance Code Vol-I is placed below for information and necessary action. (Codal life of other items not covered in the ACS will remain as per latest extant instructions for those items).

Encl: As above.


(Ajay Bartwal)
Joint Director Finance/CCA
Railway Board

Copy to :

1. DyC&AG of India (Railways), Room No. 224, Rail Bhawan, New Delhi (with 45 spare copies).
2. GM/ Const/NFR, CAO/CE (Const)/All Indian Railways.
3. PED/A, PED/CE/Planning, PED/EE (Development), EDME/Freight and ED/Signal
4. ACI(Comp), ACIII(6 copies), ACI V, Code revision, Accounts Inspection, Accounts Appropriation, Finance (Budget).
5. Adviser/MR, EDPG/MR, OSD/MR and OSD/Coord/MR.

Advance Correction slip No.91

Indian Railway Finance Code —Volume -I (1998)

Para 219:

Modify the table given under Para 219 Indian Railway Finance Code —Volume -I (1998) as under:

(i) CIVIL ENGINEERING ASSETS: (Codal life of other items not covered in the ACS will remain as per latest extant instructions for those items).

S.No.	Class of Assets	Average life in years- Recommended by the Committee				Remarks
		A&B	C(Sub)	D	E	
Rail &Fastenings etc.						
1	Rail &Fastenings					
(a.1)	Rails (60 kg)	25	19	38	38	Actual replacement shall be based on the condition of the asset, as defined in IRPWM
(a.2)	Rails (52 kg)	20	15	30	30	
(b)	Wooden Sleepers	10	10	10	10	Actual replacement shall be based on the condition of the asset, as defined in IRPWM
(c.1)	Metal sleepers (Cast Iron &Steel)	20	20	20	20	
(c/2)	Fittings steel trough	10	10	10	10	Actual replacement shall be based on the condition of the asset, as defined in IRPWM
(d)	PSC Sleepers	35	35	40	40	Actual replacement shall be based on the condition of the asset, as defined in IRPWM
(e) Elastic Fastenings						
(i)	Elastic Rail clips	8	8	10	10	Actual replacement shall be based on the

						condition of the asset, as defined in IRPWM
(ii)	Rubber pad (GRSP)	4	4	4	4	Actual replacement shall be based on the condition of the asset, as defined in IRPWM
(iii)	Rubber pad (CGRSP)	8	8	8	8	
(iv)	Metal Liners	8	8	8	8	Actual replacement shall be based on the condition of the asset, as defined in IRPWM
(v)	GFN liners	4	4	4	4	
(f) Switches						
(f.1)	Switches (52Kg)	4 -6	4 -5	8-10	8-10	Actual replacement shall be based on the, condition of the asset, as defined in IRPWM
(f.2)	Switches (60 Kg)	5-8	5-6	10-12	10-12	
(f.3)	Thick Web Switches	14-18	13-16	20-24	20-24	
(g)	Crossings	7-8	6-7	10-11	10-11	Actual replacement shall be based on the condition of the asset, as defined in IRPWM

(ii) **COMPUTER AND OTHER IT SYSTEMS:** (Codal life of other items not covered in the ACS will remain as per latest extant instructions for those items).

S.No	Class of Assets	Average life in years	Remarks
1(a)	Servers and storage devices (enterprise class)	8	Actual replacement shall be based on the condition of the asset
1(b)	Network active devices (Routers, switches etc.)	6	Actual replacement shall be based on the condition of the asset

1(c)	Network passive devices (Patch panels, outlets, network cables)	10	Actual replacement shall be based on the condition of the asset
1(d)	UPSs (≥ 50 KVA), Cooling equipment (PACs, Chillers.) Fire suppression systems for Data centers	8	Actual replacement shall be based on the condition of the asset
2(a)	UPSS < 1 KVA	4	Actual replacement shall be based on the condition of the asset
2(b)	UPS > 1 KVA, < 50 KVA	8	Actual replacement shall be based on the condition of the asset
3	PCs	4	Actual replacement shall be based on the condition of the asset
4	Portable computers/ Laptops, Tablets, Workstations	4	Actual replacement shall be based on the condition of the asset
5	Thin clients /Dumb terminals (for PRS/UTS/ ATVMs etc.)	4	Actual replacement shall be based on the condition of the asset
6	Printers (all types) including MFD	5	Actual replacement shall be based on the condition of the asset
7	Biometric Machines	4	Actual replacement shall be based on the condition of the asset

*Note*ATVM (Composite unit) earlier at S.No 7 deleted.*

(V) **SIGNALLING AND TELECOMMUNICATION ASSETS.** (Codal life of other items not covered in the ACS will remain as per latest extant instructions for those items).

(A) SIGNALLING SYSTEM

S.No.	Class of assets	Routes	Average life in years	Remarks
-------	-----------------	--------	-----------------------	---------

1.	Electrical/ Mechanical Signalling system	◦ Route 'A'	25 Years	Actual replacement shall be based on the condition of the asset
		◦ Route C/ Sub - Urban section Big yard (more than or equal to 200 routes) on all Routes		
2.	<u>Electronic interlocking</u>	For all Routes	20 years or based on obsolescence	Actual replacement shall be based on the condition of the asset
3 (i)	Electronic Signalling system like :Axle Counter, ATP, AFTC, IPS etc.		20 years or based on obsolescence	Actual replacement shall be based on the condition of the asset

(B) SIGNALLING EQUIPMENTS (Codal life of other items not covered in the ACS will remain as per latest extant instructions for those items).

S.No.	Class of assets	Life in terms of operations	Average life in years					Remarks
			Routes					
			A	B	C/Sub urban	D & D-Spl	E & E-Spl	
12.(i)	Plug-in relay (Metal to Metal)	15,00,000	25	28	25	28	30	Actual replacement shall be based on the condition of the asset.
12(ii)	Plug in relays (Metal to Carbon)	10,00,000	25	28	25	28	30	Actual replacement shall be based on the condition of the asset.
12 (iii)	Track Relay, QL1 & QBCA1 Relay		10	10	10	10	10	Actual replacement shall be based on the condition of the asset
14 (i)	Transformers		30	30	30	30	30	Signal transformer to be deleted , transformer life to be 30 years. Actual replacement shall be based on the condition of the asset
14 (ii)	Battery Chargers, DG Sets, Inverters, ELD		10	10	10	10	10	Actual replacement shall be based on the condition of the asset

15 (i)	Batteries (VRLA)	4	4	4	4	4	4	Actual replacement shall be based on the condition of the asset
15 (ii)	Batteries (LMLA)		5	5	5	5	5	
18	Block instruments Electro Mechanical/ Electronics	20	20	20	20	20	20	Actual replacement shall be based on the condition of the asset
19	Electric Lifting Barrier		10	10	10	10	10	Actual replacement shall be based on the condition of the asset

(C) TELECOMMUNICATION EQUIPMENTS (Codal life of other items not covered in the ACS will remain as per latest extant instructions for those items).

S.No.	Class of Assets	Average life in years	Remarks
7	Fax	Deleted	Fax shall not be replaced after its normal life.
21	Large format display monitor/ Video wall & LED/ LCD TV	8 yrs	Actual replacement shall be based on the condition of the asset

Note: PCs and Secondary Systems may be deleted from list of Telecom assets and their life will be as indicated under (ii) Computer and Other IT systems.

(Authority Board's letter no 2022/ACII/2/1 dated 24. 3.2022.)

भारत सरकार/Government of India
रेल मंत्रालय/Ministry of Railways
रेलवे बोर्ड/Railway Board

आरबीए सं. 24/2022

सं. 2022/एसी।।/2/1

नई दिल्ली, दिनांक 24.03.2022

1. महाप्रबंधक/प्रधान वित्त सलाहकार आदि (मानक सूची 1 के अनुसार)
2. सभी संलग्न कार्यालय/अधीनस्थ कार्यालय (मानक सूची II के अनुसार)

विषय: परिसंपत्तियों की संशोधित जीवट आयु।

कृपया भारतीय रेल वित्त संहिता, जिल्द-1 के पैरा 219 का अवलोकन करें, जिसमें विभिन्न परिसंपत्तियों की सामान्य आयु का ब्यौरा दिया गया है। इस संबंध में सिविल इंजीनियरी निदेशालय, कंप्यूटर और सूचना प्रणाली निदेशालय तथा सिगनल एवं दूरसंचार निदेशालय ने कतिपय परिसंपत्तियों की जीवन अवधि में संशोधन का प्रस्ताव दिया है। इस प्रयोजन के लिए रेलवे बोर्ड में गठित बहुविषयक कार्यपालक निदेशकों की समिति द्वारा इस प्रस्ताव की जांच की गई है और बोर्ड द्वारा इनकी सिफारिशों को स्वीकार कर लिया गया है। तदनुसार, भारतीय रेल वित्त संहिता जिल्द-1 के पैरा 219 में संशोधन करते हुए अग्रिम शुद्धि पर्ची संख्या 91 सूचना तथा आवश्यक कार्रवाई के लिए नीचे दी गई है। (इस अग्रिम शुद्धि पर्ची में असम्मिलित अन्य मदों की जीवन आयु उन मदों के लिए अद्यतन मौजूदा अनुदेशों के अनुसार होगी)।

संलग्नक: यथोक्त

(अजय बर्तवाल)

संयुक्त निदेशक वित्त/सीसीए
रेलवे बोर्ड

प्रतिलिपि प्रेषित:

1. उप नियंत्रक एवं भारत के लेखा परीक्षक (रेलें), कमरा नं. 224, रेल भवन नई दिल्ली (45 अतिरिक्त प्रतियां सहित)।
2. महाप्रबंधक/निर्माण/पूर्वोत्तर सीमा रेलवे, मुख्य लेखा अधिकारी/सिविल इंजीनियरी (निर्माण)/सभी भारतीय रेलें।
3. प्रधान कार्यपालक निदेशक/लेखा, प्रधान कार्यपालक निदेशक/सीई/योजना, प्रधान कार्यपालक निदेशक/ईई(विकास), कार्यपालक निदेशक यांत्रिक इंजीनियरी/मालभाड़ा तथा कार्यपालक निदेशक/सिगनल।
4. लेखा।(संकलन), लेखा।।।(6 प्रतियां), लेखा IV, संहिता संशोधन, लेखा निरीक्षण, लेखा विनियोग, वित्त (बजट)।
5. सलाहकार/रेल मंत्री, कार्यपालक निदेशक जन शिकायत/रेल मंत्री, विशेषकार्याधिकारी/रेल मंत्री और विशेषकार्याधिकारी/समन्वय/रेल मंत्री।

अग्रिम शुद्धि पर्ची सं. 91

भारतीय रेल वित्त संहिता - जिल्द-1 (1998)

पैरा 219:

भारतीय रेल वित्त संहिता-जिल्द-1 (1998) के पैरा 219 के अंतर्गत दी गई तालिका को निम्नानुसार संशोधित किया जाए:

(i) सिविल इंजीनियरी परिसम्पत्तियां: (अग्रिम शुद्धि पर्ची में असम्मिलित अन्य मदों की जीवट आयु उन मदों के लिए अद्यतन मौजूदा अनुदेशों के अनुसार होगी)।

क्रम सं.	परिसम्पत्तियों की श्रेणी	समिति द्वारा की गई सिफारिश के अनुसार वर्षों में औसत आयु				टिप्पणियां
		क एवं ख	ग (उप)	घ	ङ	
रेल पटरी और स्थिरक आदि						
1	रेल पटरी और स्थिरक					
(क.1)	पटरियां (60 कि.ग्रा.)	25	19	38	38	वास्तविक प्रतिस्थापन भारतीय रेल रेलपथ नियमावली में यथा परिभाषित परिसम्पत्ति की स्थिति पर आधारित होगा।
(क.2)	पटरियां (52 कि.ग्रा.)	20	15	30	30	
(ख)	लकड़ी के स्लीपर	10	10	10	10	वास्तविक प्रतिस्थापन भारतीय रेल रेलपथ नियमावली में यथा परिभाषित परिसम्पत्ति की स्थिति पर आधारित होगा।
(ग.1)	धातु के स्लीपर (ढलवां लोहा एवं इस्पात)	20	20	20	20	
(ग/2)	फिटिंग स्टील द्रोणिका	10	10	10	10	वास्तविक प्रतिस्थापन भारतीय रेल रेलपथ नियमावली में यथा परिभाषित परिसम्पत्ति की स्थिति पर आधारित होगा।
(घ)	प्रबलित सीमेंट कंक्रीट	35	35	40	40	
(ङ)	लचीले स्थिरक					
(i)	लचीली पटरी क्लिप	8	8	10	10	वास्तविक प्रतिस्थापन भारतीय रेल रेलपथ नियमावली में यथा परिभाषित परिसम्पत्ति की स्थिति पर आधारित होगा।
(ii)	रबर पैड (जीआरएसपी)	4	4	4	4	
(iii)	रबर पैड (सीजीआरएसपी)	8	8	8	8	वास्तविक प्रतिस्थापन भारतीय रेल रेलपथ नियमावली में यथा परिभाषित परिसम्पत्ति की स्थिति पर आधारित होगा।
(iv)	धातु आस्तरक	8	8	8	8	
(v)	जीएफएन आस्तरक	4	4	4	4	वास्तविक प्रतिस्थापन भारतीय रेल रेलपथ नियमावली में यथा परिभाषित परिसम्पत्ति की स्थिति पर आधारित होगा।

(च)	स्विच					
(च.1)	स्विच (52 कि.ग्रा.)	4-6	4-5	8-10	8-10	वास्तविक प्रतिस्थापन भारतीय रेल रेलपथ नियमावली में यथा परिभाषित परिसम्पत्ति की स्थिति पर आधारित होगा।
(च.2)	स्विच (60 कि.ग्रा.)	5-8	5-6	10-12	10-12	
(च.3)	थिक वेब स्विच	14-18	13-16	20-24	20-24	
(छ)	कैंचियां (क्रॉसिंग)	7-8	6-7	10-11	10-11	वास्तविक प्रतिस्थापन भारतीय रेल रेलपथ नियमावली में यथा परिभाषित परिसम्पत्ति की स्थिति पर आधारित होगा।

(ii) कम्प्यूटर तथा अन्य सूचना प्रौद्योगिकी प्रणालियां: (अग्रिम शुद्धि पर्ची में असम्मिलित अन्य मदों की जीवत आयु उन मदों के लिए अद्यतन मौजूदा अनुदेशों के अनुसार होगी)।

क्रम सं.	परिसम्पत्तियों की श्रेणी	औसत आयु वर्षों में	टिप्पणियां
1(क)	सर्वर एवं स्टोरेज डिवाइस (उद्यम श्रेणी)	8	वास्तविक प्रतिस्थापन परिसम्पत्ति की स्थिति पर आधारित होगा।
1(ख)	नेटवर्क एक्टिव डिवाइस (राउटर, स्विच आदि)	6	वास्तविक प्रतिस्थापन परिसम्पत्ति की स्थिति पर आधारित होगा।
1(ग)	नेटवर्क पैसिव डिवाइस (पैच पैनल, आउटलेट, नेटवर्क केबल)	10	वास्तविक प्रतिस्थापन परिसम्पत्ति की स्थिति पर आधारित होगा।
1(घ)	यूपीएस (>/=50केवीए), कूलिंग उपकरण (पीएसी, चिलर्स) डाटा केन्द्रों के लिए अग्नि निरोधी प्रणाली	8	वास्तविक प्रतिस्थापन परिसम्पत्ति की स्थिति पर आधारित होगा।
2(क)	यूपीएसएस <1केवीए	4	वास्तविक प्रतिस्थापन परिसम्पत्ति की स्थिति पर आधारित होगा।
2(ख)	यूपीएस>1केवीए,<50 केवीए	8	वास्तविक प्रतिस्थापन परिसम्पत्ति की स्थिति पर आधारित होगा।
3	पीसी	4	वास्तविक प्रतिस्थापन परिसम्पत्ति की स्थिति पर आधारित होगा।

4	पोर्टेबल कम्प्यूटर/लैपटॉप, टेबलेट, वर्कस्टेशन	4	वास्तविक प्रतिस्थापन परिसम्पत्ति की स्थिति पर आधारित होगा।
5	थिन क्लाइट्स/डम्ब टर्मिनल (पीआरएस/यूटीएस/एटीवीएम आदि के लिए)	4	वास्तविक प्रतिस्थापन परिसम्पत्ति की स्थिति पर आधारित होगा।
6	एमएफडी सहित प्रिंटर (सभी प्रकार के)	5	वास्तविक प्रतिस्थापन परिसम्पत्ति की स्थिति पर आधारित होगा।
7	बायोमैट्रिक मशीनें	4	वास्तविक प्रतिस्थापन परिसम्पत्ति की स्थिति पर आधारित होगा।

टिप्पण* एटीवीएम (संयुक्त इकाई), जो पहले क्रम सं. 7 पर था, को हटा दिया गया है।

(V) सिगनल एवं दूरसंचार परिसम्पत्तियां (अग्रिम शुद्धि पर्ची में असम्मिलित अन्य मदों की जीवट आयु उन मदों के लिए अद्यतन मौजूदा अनुदेशों के अनुसार होगी)।

(क) सिगनल प्रणाली

क्रम सं.	परिसम्पत्तियों की श्रेणी	मार्ग	औसत आयु वर्षों में	टिप्पणियां
1.	बिजली/यांत्रिक सिगनल प्रणाली	<ul style="list-style-type: none"> मार्ग 'क' मार्ग ग/उपनगरीय खंड बड़ा याई (सभी मार्गों पर 200 मार्गों से अधिक या बराबर) 	25 वर्ष	वास्तविक प्रतिस्थापन परिसम्पत्ति की स्थिति पर आधारित होगा।
2.	इलेक्ट्रॉनिक अंतर्प्राशन	सभी मार्गों के लिए	20 वर्ष या अप्रचलन के आधार पर	वास्तविक प्रतिस्थापन परिसम्पत्ति की स्थिति पर आधारित होगा।
3 (i)	इलेक्ट्रॉनिक सिगनल प्रणाली जैसे धुरा काउंटर, एटीपी, एएफटीसी, आईपीएस आदि।		20 वर्ष या अप्रचलन के आधार पर	वास्तविक प्रतिस्थापन परिसम्पत्ति की स्थिति पर आधारित होगा।

(ख) सिगनल उपस्कर (अग्रिम शुद्धि पर्ची में असम्मिलित अन्य मदों की जीवट आयु उन मदों के लिए अद्यतन मौजूदा अनुदेशों के अनुसार होगी)।

क्रम सं.	परिसम्पत्तियों की श्रेणी	परिचालन के अनुसार जीवन अवधि	औसत आयु वर्षों में	टिप्पणियां
			मार्ग	

			क	ख	ग/उपनगरीय	डी एवं डी- विशेष	ई एवं ई- विशेष	
12(i)	प्लग-इन रिले (धातु से धातु)	15,00,000	25	28	25	28	30	वास्तविक प्रतिस्थापन परिसम्पत्ति की स्थिति पर आधारित होगा।
12(ii)	प्लग-इन रिले (धातु से कार्बन)	10,00,000	25	28	25	28	30	वास्तविक प्रतिस्थापन परिसम्पत्ति की स्थिति पर आधारित होगा।
12(iii)	रेलपथ रिले, क्यूएल1 एवं क्यूबीसीए1 रिले		10	10	10	10	10	वास्तविक प्रतिस्थापन परिसम्पत्ति की स्थिति पर आधारित होगा।
14(i)	ट्रांसफॉर्मर		30	30	30	30	30	सिग्नल ट्रांसफॉर्मर का विलोप किया जाना है, ट्रांसफॉर्मर की जीवन अवधि 30 वर्ष होगी। वास्तविक प्रतिस्थापन परिसम्पत्ति की स्थिति पर आधारित होगा।
14(ii)	बैटरी चार्जर, डीजी सेट, इन्वर्टर, ईएलडी		10	10	10	10	10	वास्तविक प्रतिस्थापन परिसम्पत्ति की स्थिति पर आधारित होगा।
15(i)	बैटरी (वीआरएलए)	4	4	4	4	4	4	वास्तविक प्रतिस्थापन परिसम्पत्ति की स्थिति पर आधारित होगा।
15(ii)	बैटरी (एलएमएलए)		5	5	5	5	5	

18	ब्लॉक उपस्कर इलैक्ट्रो यांत्रिक/ इलैक्ट्रॉनिक्स	20	20	20	20	20	20	वास्तविक प्रतिस्थापन परिसम्पत्ति की स्थिति पर आधारित होगा।
19	बिजली के लिफ्टिंग बैरियर		10	10	10	10	10	वास्तविक प्रतिस्थापन परिसम्पत्ति की स्थिति पर आधारित होगा।

(ग) दूर संचार उपस्कर (अग्रिम शुद्धि पर्ची में असम्मिलित अन्य मदों की जीवट आयु उन मदों के लिए अद्यतन मौजूदा अनुदेशों के अनुसार होगी)।

क्रम सं.	परिसंपत्तियों की श्रेणी	औसत आयु वर्षों में	टिप्पणियां
7	फैक्स	विलोप किया गया	फैक्स को इसकी सामान्य जीवन अवधि के बाद प्रतिस्थापित नहीं किया जाएगा।
21	बड़े फॉर्मेट डिस्प्ले मॉनीटर/वीडियो वॉल एवं एलईडी/एलसीडी टीवी	8 वर्ष	वास्तविक प्रतिस्थापन परिसम्पत्ति की स्थिति पर आधारित होगा।

टिप्पण: दूर संचार परिसम्पत्तियों की सूची से पीसी और सेकेंडरी प्रणाली का विलोप कर दिया जाए और उनकी जीवन अवधि (ii) कंप्यूटर और अन्य सूचना प्रौद्योगिकी प्रणालियों के अंतर्गत दर्शाए गए अनुसार होगी।
(प्राधिकार बोर्ड का दिनांक 24.03.2022 का पत्र सं. 2022/एसी/1/2/1)